

राजस्थान सरकार
गृह (युप-1) विभाग

क्रमांक-प. 3(12)गृह-1/2022

जयपुर, दिनांक : 05 DEC 2022
—: आज्ञा :—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विष खण्ड) भर्ती परीक्षा, 2019 में चयन किये जाने की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 में यथा उपबंधित सम्यक विज्ञापन के अनुसरण में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विष खण्ड) के पद पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन पर एतद द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है:—

क्रम सं०	रोल नंबर	नाम अधिकारी	वर्ग	पद के विरुद्ध चयन
1.	301415	अर्चना अग्रवाल	GE, WE, RG	GENM
2.	301529	नवीन गहलोत	GE, RG	GENM
3.	301506	सीमा कुमारी गर्ग	GE, WE, RG, TSP-UR	GENM

उक्त अधिकारियों द्वारा परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे—मैट्रिक्स लेवल संख्या 15 (Grade Pay-6000) पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित/नियम/2006, दिनांक 13.03.2006 के अनुसार वेतन देय होंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे एवं उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:—

- विष खण्ड में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या SBCWP No.1337/2021 and 1593/2021 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होंगे।
- उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 के उपबंधों एवं अपेक्षाओं के अनुसार की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलक्षियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।

) १५ /

4. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
5. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुयार देय होंगे।
6. इन परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1) वित्त/नियम /2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी नम्बर-25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
7. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-15 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
8. जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियाँ सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
9. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
10. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
11. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
12. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
13. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, दहेज, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
14. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।

(N)

15. उक्त अन्यर्थी निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस विभाग को सूचित करेगे। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। यदि निश्चित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अन्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति का इच्छुक नहीं है और उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
16. उक्त नियुक्तियों सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।
17. राज्य सेवा में पूर्व से ही नियुक्त/कार्यरत कार्मिक कार्यमुक्त होकर नवनियुक्त स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

, १५/१२/२२

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) प्रमुख सचिव, माठ मुख्यमंत्री महोदय (गृह) राजस्थान, जयपुर।
- 3) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4) संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राज० जयपुर।
- 5) निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अन्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखित 'बन्ध पत्र', बिन्दु संख्या 13 के अनुसार, जो अन्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित सतान/सतानों की सूचना की सत्यपित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त तथा बिन्दु संख्या 14 में अंकित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज. में कार्यरत पुनः चयनित हुए कार्मिकों के संदर्भ में बिन्दु संख्या 08, 09 एवं 14 के अन्तर्गत चरित्र सत्यापन की जांच से मुक्त रखते हुए, अन्य विभागों एवं राज्य से बाहर के कार्यरत राजकीय कार्मिकों के चरित्र सत्यापन की जांच करवाना आवश्यक रहेगा।
- 6) निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7) निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8) निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9) संबंधित अधिकारी (क्र. सं. 01 से 03 तक)। (रजिस्टर्ड डाक)
- 10) वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (गुप-6) विभाग - उक्त नियुक्ति आदेश दिनांकीय बैबसाईट पर "SSO Appointment(Toxicology)order Dec., 2022" शीर्षक से अपलोड करने हेतु।
- 11) निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

, १५/१२/२२

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस
ध/स